

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1709 / 2010 / जयपुर

अपील संख्या – 1710 / 2010 / जयपुर

मैसर्स भारत पोटर्रीज लिमिटेड,  
वीकेआई एरिया, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
उडनदस्ता-जोन प्रथम, जयपुर  
हाल सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-I प्रतिकरापवंचन, राजस्थान सर्किल-I, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद

उप राजकीयअभिभाषक

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 128 व 129/अपील्स-IV/2008-09/ई में पारित किये गये पृथक पृथक आदेश दिनांक 25.05.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, जोन-प्रथम, जयपुर ( जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित कर एवं शास्तियों को यथावत रखा है।

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 24.07.2008 को वाहन संख्या आरजे-14-1जी-8607 एवं वाहन संख्या आर.जे. 29-जी-1267 को विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र पर रोक कर चैक किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा वक्त चैकिंग वाहन में लदे माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर बिल्टी संख्या 078 व 079 दिनांक 19.07.2008, इनवाईस संख्या 17/820 एवं 17/843, मैसर्स विश्वेशर कम्प्यूटराइज्ड धर्म कांटा की पर्ची संख्या 04033 व 04053

लगातार.....2



दिनांक 19.07.2008 तथा घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 4377603 व 4377604 आदि दस्तावेज वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर सशक्त अधिकारी द्वारा पाया गया कि दस्तावेजों के साथ जो घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 4377603 व 4377604 प्रस्तुत किए गए हैं, जो अपूर्ण हैं। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (5)(ए) के अन्तर्गत वाहन मय माल के निरुद्ध किया है। वक्त चेकिंग अपूर्ण घोषणा पत्र वैट-47 प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) सपटित नियम 53 के प्रावधानों उल्लंघन होने से नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा माल की कीमत पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति क्रमशः रु. 42,480/- व रु. 45,560/- तथा 4 प्रतिशत की दर से कर रु.5,665/- व रु. 6,075/- आरोपित करते हुए क्रमशः रु. 48,145/- व रु. 51,635/- की मांग सृजित करते हुए पृथक-पृथक आदेश दिनांक 24.07.2008 पारित किये गये हैं। उक्त पारित पृथक-पृथक आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन पृथक-पृथक आदेश दिनांक 25.05.2010 पारित कर अपीलें अस्वीकार कर सशक्त अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा है, जिससे असन्तुष्ट होकर ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माल परिवहन के समय प्रेषक व्यवहारी की लिपिकीय भूल के कारण घोषणा पत्र वैट-47 में प्रविष्टियाँ अंकित नहीं की गई है और ना ही ट्रांसपोर्टर से पूर्ति करवाई गई है। उनका कथन है कि यह तकनीकी भूल है। उनका कथन है कि वक्त जांच प्रस्तुत किये गये बिल एवं बिल्टी की जांच कर परिवहनित संव्यवहार की जांच की जा सकती थी। उनका कथन है कि कोई भी संव्यवहार छुपाया नहीं गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय अपीलीय स्तर पर घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 4377700 व 4377699 पूर्ण रूप से भरे हुए प्रस्तुत किये गये हैं, इसलिए सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीले स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

6. विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि परिवहनित माल के साथ मौजूद घोषणा प्रपत्र वैट-47




के पूर्णतया रिक्त होने के कारण माल का बिना प्रपत्र एस टी वैट-47 परिवहनित किया जाना माना जावेगा और इस आधार पर धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण धारा 76(6) के तहत शास्ति आकर्षित होने से सशक्त अधिकारी द्वारा विधिनुसार शास्ति एवं कर का अधिरोपण किया गया, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के निर्णय में अभिनिर्धारित किया जा चुका है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित करने के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय नया घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 4377700 प्रस्तुत किया गया है, जो बाद की सोच है और शास्ति व कर आरोपित करते समय सशक्त अधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं था। उक्त कथन के आधार पर विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा दोनों अपीलें अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने का निवेदन किया।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 अपूर्ण/रिक्त प्रस्तुत किये गये हैं इसलिए बिना घोषणा प्रपत्र वैट-47 के माल को परिवहनित किया जाना मानते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के उल्लंघन पर धारा 76(6) के तहत शास्ति व कर का आरोपण किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के निर्णय [(2007) टैक्स अपडेट वोल्यूम 18 पार्ट 8 पेज 321] में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में सशक्त अधिकारी का आदेश दिनांक 24.07.2008 पूर्णतया विधिक है एवं इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2010 में समावेश करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर की पुष्टि की है, इसलिए उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की दोनों अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



( खेमराज )  
अध्यक्ष